



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1987/ज्यैष्ठ 30, 1909

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1987/JYAISTHA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

प्रज्ञापन-1 (एल टी वि अनुभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1987

1. भा. का नि. 456 --राष्ट्रपति सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करने हुए, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग), राजभाषा खण्ड (समूह ख पद) अर्थात् नियम, 1979 का और मकोधन करन के लिए निम्नलिखित नियम बताने हैं, अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का शीर्षक नाम विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खण्ड (समूह 'ख' पद) अर्थात् (गणेशधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्त होंगे :

2. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खण्ड (समूह ख पद) अर्थात् नियम 1979 की अनुसूची के धर्म में 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के परन्तु निम्नलिखित अत्र स्थापित किया जाएगा. अर्थात् --

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any	method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission's to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Direct recruitment.	Not applicable	Group 'A' -Departmental Promotion Committee (for confirmation): 1. Joint Secretary (Works) (Urban Development)—Chairman 2. Director General (Works), Central Public Works Department —Member 3. Chief Architect Central Public Works Department —Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for the approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 22011/B(1)/81-EW. I]

A. K. NARANG, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi, the 26th May, 1987

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 1987

सा.का.नि. 484.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गीत और नाटक प्रभाग (उप-निदेशक और सहायक निदेशक) शर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गीत और नाटक प्रभाग (उप-निदेशक और सहायक निदेशक) शर्ती (संशोधन), नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. गीत और नाटक प्रभाग (उप-निदेशक और सहायक निदेशक) शर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में क्रम सं. 1 और 2 के सामने, स्तम्भ 6 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"45 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

[फा.सं. ए-12018/3/85-प्रशासन-1/एस एच.सी.सी.]

एस. एम. बाजाज, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 484.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Song and Drama Division (Deputy Director and Assistant Director) Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Song and Drama Division (Deputy Director and Assistant Director) Recruitment Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Song and Drama Division (Deputy Director and Assistant Director) Recruitment Rules, 1979, for the entry in Column 6 against S. No. 1 and 2 the following entry shall be substituted, namely:—

"45 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)"

[F. No. A-12018/3/85-Admn. 1/S&amp;DD]

S. M. BAJAJ, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 जून, 1987

भा का नि 435 - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्राकाशनाधी समूह "ग" पर भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात् --

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राकाशनाधी (समूह "ग" पर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 प्राकाशनाधी (समूह "ग" पर) भर्ती नियम, 1964 में, कम न 71 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा: अर्थात् --

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अयन पर अथवा अजयन पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में आने का अधिकार
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	---	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
71 लिपिक श्रेणी 1/बंदारी	1005* (1987)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अर्थात् - पब्लिक अनुसंधानीय	1200-30-1850- प.रो.-40-2040 रुपए	अजयन	नागू नहीं होगा	नागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए नैतिक और अन्य शर्तें सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्तित की जा सकती हैं यदि कोई भी व्यक्ति प्रोक्त शर्तों में लागू होगी या नहीं

8	9	10
नागू नहीं होता	नागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की-पदों/भर्ती सीधे होंगे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/स्थानान्तरण प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वहां में वे श्रेणियां जिनसे द्वारा तथा विभिन्न पदों/भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

12

100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रकाशवाणी और दूरदर्शन के 950—1500 एम्प के बेतनमान में ऐसे लिपिक श्रेणी 2/टिपि प्रिन्टर/इंजिनियर पर्सनल और साधारण सहायक/नकलनवीम/टिप पुस्तकालय/घाघ्यस (कनिष्ठ श्रेणी) इनमें पूर्ण प्रवर्ग के स्टाफ कलाकार और केम टेकर जिन्होंने उम श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : (1) सरकारी सेवक बन जाने पर, स्टाफ कलाकार घण्टी प्रोन्नति के समय नियमित प्रवर्ग में उनका स्थान होने तक पृथक प्रवर्ग में बने रहेंगे।

- (2) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, दो पृथक ज्येष्ठता सूचियां होंगी (1) विद्यमान प्रशासनिक कार्ग की और (2) सिविल पद धारण करने वाले इससे पूर्व के ऐसे सभी स्टाफ कलाकार जो प्रवर्ग में अधिकारी के रूप में एक समान बेतनमान में हैं। (1) सूची (2) पर के मामले की दशा में विभिन्न प्रवर्गों में वे पारस्परिक ज्येष्ठता का व्यवहार उस श्रेणी में नियमित आधार पर पदग्रहण करने के आधार पर किया जाएगा। वह व्यक्ति जो पहले पद ग्रहण करता है, बाद में पद ग्रहण करने वाले अन्य व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा और जो व्यक्ति उच्चतर बेतनमान में पद धारण करते हैं, वे कनिष्ठ श्रेणी में पद धारण करने वाले व्यक्तियों से सामूहिक रूप में ज्येष्ठ होंगे।
- (3) दोनों ज्येष्ठता सूचियों में से लिपिक श्रेणी अंशरी के रूप में भगली श्रेणी में प्रोन्नति, निर्धारित मात्रा (कोटा) के आधार पर की जाएगी। इसका अनुपाल इन दोनों प्रवर्गों में से प्रत्येक में स्वीकृत पदों की विद्यमान संख्या के आधार पर अवधारित किया जाएगा।
- (4) नीचे उल्लिखित किसी राज्य या राज्यों के समूह और संघ राज्य-क्षेत्रों में अवस्थित आकाशवाणी केंद्रों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लिपिक श्रेणी 1 अंशरियों के लिए एक सामान्य ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी और उक्त सूची के आधार पर किसी राज्य या राज्यों के समूह और संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर प्रोन्नतियां और स्थानान्तरण किए जाएंगे।

राज्य या राज्यों का समूह :

असम, तामिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा, आरुणाचल प्रदेश, मेघालय, 2. आन्ध्र प्रदेश, 3. बिहार, 4. दिल्ली, 5. गुजरात, 6. केरल, 7. मद्रास, पांडिचेरी, मध्यप्रदेश और निकोबार द्वीप समूह, 8. कर्नाटक, 9. महाराष्ट्र, गोवा, 10. मध्य प्रदेश, 11. उड़ीसा, 12. पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र, द्रियाणा, 13. राजस्थान, 14. उत्तर प्रदेश, 15. पश्चिमी बंगाल

प्रमुख आकाशवाणी केंद्रों के प्रधान

1. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—गोहाटी, 2. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—हैदराबाद, 3. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—पुणे, 4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—नई दिल्ली, 5. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—अहमदाबाद, 6. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—दिल्ली, 7. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—मद्रास, 8. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—चण्डीगढ़, 9. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—मुम्बई, 10. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—भारत, 11. केंद्र निदेशक—आकाशवाणी—कटक, 12. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—दार्जिलिंग, 13. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—जयपुर, 14. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—लखनऊ, 15. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी—कलकत्ता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

घटौं कले में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

- (1) राज्य/राज्यों के समूह से केन्द्र का प्रदान, अर्थात्-केन्द्र नियोक—प्रत्यक्ष
- (2) प्रशासनिक अधिकारी—सबसे
- (3) राज्य/राज्यों के समूह के किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का केन्द्र इजी-निदरे—सबसे

नागू नहीं होना

टिप्पण :—मूल नियम जिसका संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 है, सा. का. नि. सं. 1776 तारीख 31-11-1964 द्वारा अधिसूचित किए गए के और उनके पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित द्वारा अधिसूचित किए गए हैं :—

1. अधिसूचना सं. 11/5/64-बी(ए) तारीख 9-8-1963
2. अधिसूचना सं. 5/2/87-बी(ए) तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी(ए) तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना सं. 7/8/60-बी(ए) तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना सं. 20/8/67-बी(ए) तारीख 4-2-1970
6. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 18-3-1971
7. अधिसूचना सं. 16/2/69-बी(ए) तारीख 30-3-1970
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी(ए) तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी(ए) तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना सं. 1/11/71-बी(ए) तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना सं. 1/4/72-बी(ए) तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी(ए) तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना सं. 1/6/73-बी(ए) तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना सं. 1/11/73-बी(ए) तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी(ए) तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना सं. 1/3/74-बी(ए) तारीख 21-5-1976
19. अधिसूचना सं. 12019/3/80-बी(ए) तारीख 17-12-1980
20. अधिसूचना सं. 12019/3/80-बी(ए) तारीख 27-4-1981
21. अधिसूचना सं. 12019/8/81-बी(ए) तारीख 17-5-1983
22. अधिसूचना सं. 12019/4/81-बी(ए) तारीख 11-4-1983
23. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी(ए) तारीख 19-9-1983

[सं. 3/26/83-बी. आर. सी. आर./एम-IL/आकाशवाणी/बी (ए)]

कृष्णदीरो जाय, प्रवर सचिव

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING;

New Delhi, the 2nd June, 1987

G.S.R. 485:— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Group C Posts) Recruitment Rules, 1964, for Serial No. 71 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
71 Clerk Grade I/Store-keeper	1005* (1987)	General Central Service	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial					

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion/deputation.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotions/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11	12

Not applicable

2 years.

100% by promotion

From amongst Clerk Grade II/Teleprinter/Telephone Attendant and General Assistant/Copyist/Tape Librarian (Junior Grade) erstwhile category of Staff Artists and Caretaker in the pay scale of Rs. 950-1500 of All India Radio and Doordarshan with 5 years' regular service in the grade.

## Note :

- (1) On becoming Government servants, the Staff Artists will continue to be separate category till their merger with the regular category of the time of next promotion.
- (2) For the purpose of promotion, there will be two separate seniority lists (i) of existing Administrative cadre, and (ii) of all such erstwhile Staff artists holding civil posts who are in the same pay scale as Officers in the category.
  - (i) In the case of list (i) the inter-se seniority from various categories will be determined on the basis of joining the post in that grade on a regular basis. The one who joined earlier will be senior to the other joined later, and those who hold posts in higher scale would be senior to those holding posts in Junior Grade.
  - (ii) In the case of list (ii) the inter-se seniority from various categories will be determined on the basis of joining the post in that grade on a regular basis. The one who joined earlier will be senior to the other joined later, and those who hold posts in higher scale would be senior to those holding posts in Junior Grade.
- (3) The promotion to the next grade as Clerk Grade I/Store Keeper from the two seniority lists will be on a quota basis, the ratio of which will be determined on the basis of existing number of posts sanctioned in each of these two categories.



14.	Notification	No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15.	"	No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16.	"	No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17.	"	No. 1/7/70B(A), dated 8-8-1974
18.	"	No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
19.	"	No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
20.	"	No. 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981
21.	"	No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
22.	"	No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
23.	"	No. 45011/83/81-B(A), dated 19-9-1983

[No. 13/25/83-CROR/S (U/AIR/3)(AM)  
KASHMIREE AL. D. for Secy.]

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1987

सा.का. नि. 486—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम यथातो हैं, यथातः—

1. (1) इन नियमों का मन्त्रालय नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिवहन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम 1986 में—

(1) उद्देशिका और नियम 1 के उप-नियम (1) में "परिवहन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग)" शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर "नागर विमानन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(2) अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 4 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, यथातः—

"950-20-1150-ब.रो.-25-1500";

(ख) स्तम्भ 12 के नीचे की प्रविष्टि में, "नागर विमानन विभाग" शब्दों के स्थान पर, "नागर विमानन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. ए.-12018/2/86-अभा.]

घार एन. भार्गव, यवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th March, 1987

G.S.R. 486.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make; the following rules to amend the Ministry of Civil Aviation (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Transport (Department of Civil Aviation), the words "Ministry of Civil Aviation" shall be substituted;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Transport (Department of Civil Aviation) (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1986, —

(1) In the preamble and in sub-rule (1) of rule 1, for the words and brackets "Ministry of Transport (Department of Civil Aviation)" the words "Ministry of Civil Aviation" shall be substituted;

(2) In the Schedule, —

(a) for the entry under column 4 the following entry shall be substituted, namely :—

"RS. 950-20-1150-EB-25-1500";

(b) in the entry under Column 12, for the words "Department of Civil Aviation", the words "Ministry of Civil Aviation" shall be substituted.

[No. A-12018/2/86 Adm.]

R. N. BHARGAVA, Under Secy.